न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :– रावताराम पुत्र थानाराम जाति राईका निवासी भावसिया

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 09 / 18

निर्णय दिनांक 30.04.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद भावसिया के खसरा नम्बर 420 किस्म गै.मु.रास्ते में रकबा 0.0560 है. भूमि में खंदक लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीयों को नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी दिनांक 25.04.2018 को रावताराम पुत्र थानाराम अनुपस्थित रहा । अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का मौजा भावसिया के खसरा नम्बर 420 किस्म गै.मु.रास्त में रकबा 0.0560 है. भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0560 है. भूमि के 0.28 रूपये लगान का 50 गुणा 14 / – अक्षरे चौदह रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में 30.04.2018 को सुनाया गया ।

तहसीलदार परबतसर